

प्रेषक,

मनोज सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 3- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
- 4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 02 जून, 2023

विषय:- वर्ष 2023-24 के वृक्षारोपण लक्ष्यों का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश की हरियाली एवं बढ़ते प्रदूषण तथा पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने हेतु प्रदेश सरकार के संकल्प की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति-2017 के प्रस्तर - 2, 4 में हरित आवरण में वृद्धि हेतु जनान्दोलन के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। राज्य वन नीति में व्यापक स्तर पर जन सामान्य विशेषकर महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, दिव्यांगों, दृष्टिबाधित, पूर्व सैनिकों, समाज के अल्प आय वाले व्यक्तियों एवं वनों के समीप रहने वाले समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से वानिकी को जन आन्दोलन बनाये जाने का प्राविधान है।

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित अध्यावधिक द्विवर्षीय वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है, जिसमें वर्ष 2019 के सापेक्ष वृक्षावरण तथा वनावरण में समेकित रूप से कुल 91 वर्ग0 किमी0 (वनावरण में 12 वर्ग कि०मी० एवं वृक्षावरण में 79 वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल वृद्धि) की वृद्धि परिलक्षित हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण सफल वृक्षारोपण गतिविधियां तथा वन संरक्षण हेतु किये गये प्रयास हैं।

2- वर्ष 2023-24 में भी समस्त विभागों का समावेश करते हुये जन सहभागिता से वर्ष 2022-23 की भांति वृहद स्तर पर 35.00 करोड़ पौधों का रोपण किया जाय।

3- वर्ष 2023-24 हेतु 35.00 करोड़ पौधों के रोपण के निम्नानुसार विभागवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं:-

		(पौध संख्या लाख में)
क्र०सं०	विभाग का नाम	2023-24
1	2	3
1	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	
	(i) वन एवं वन्यजीव विभाग	1260.00
	(ii) पर्यावरण विभाग	139.96
2	ग्राम्य विकास विभाग	1259.15
3	राजस्व विभाग	105.60
4	पंचायती राज विभाग	127.98
5	आवास विकास विभाग	5.38
6	औद्योगिक विकास विभाग	7.73
7	नगर विकास विभाग	34.97
8	लोक निर्माण विभाग	12.93
9	जल शक्ति विभाग	13.41
10	रेशम विभाग	14.19
11	कृषि विभाग	250.73
12	पशुपालन विभाग	7.26
13	सहकारिता विभाग	5.60
14	उद्योग विभाग- (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग)	9.55
15	ऊर्जा विभाग	5.60
16	शिक्षा विभाग	
	(i)माध्यमिक शिक्षा	7.63
	(ii)बेसिक शिक्षा	12.43
	(iii)प्राविधिक शिक्षा	5.06
	(iv)उच्च शिक्षा	18.54
17	श्रम विभाग	2.69
18	स्वास्थ्य विभाग	10.91
19	परिवहन विभाग	2.53
20	रेल विभाग	12.66
21	रक्षा विभाग	4.95
22	उद्यान विभाग	155.56
23	गृह विभाग	7.00
	कुल:-	3500.00

4- विभागवार एवं जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण-प्रदेश में वर्ष 2023-24 रोपण हेतु विभाग/जनपदवार लक्ष्य परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

5- वन महोत्सव एवं पौधरोपण लक्ष्य की प्राप्ति- प्रत्येक वर्ष की भांति वन महोत्सव माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में 01 जुलाई से 07 जुलाई तक मनाया जाय तथा रोपण लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिलावार/विभागवार/ग्राम पंचायतवार/शहरी निकायवार इस प्रकार कार्ययोजना तैयार की जाय कि वृक्षारोपण का लक्ष्य वृक्षारोपण हेतु निर्धारित तिथि तक/में शत प्रतिशत प्राप्त हो सके। 6- वृक्षारोपण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नानुसार रणनीति निर्धारित की जाती है-

6.1 वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन की सामान्य नीति-

- (क) पौध रोपण हेतु वन भूमि, सामुदायिक भूमि व अन्य राजकीय भूमि की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत कृषि एवं अन्य निजी भूमि पर भी कृषि वानिकी मॉडल तथा कृषकों की इच्छानुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रजाति के पौधों का रोपण कराया जाय।
- (ख) जनपदों में गंगा नदी, यमुना नदी एवं गंगा तथा यमुना नदियों की सहायक नदियों के साथ-साथ मुख्य नदियों एवं पोषक जलधाराओं के पुनरोद्धार हेतु उनके किनारे वृक्षारोपण तथा अन्य भूमि संरक्षण कार्य कराया जाय।
- (ग) नदियों के पुनरोद्धार हेतु पोषक बेटलैण्ड के किनारे भी वृक्षारोपण कार्य कराया जाय।
- (घ) प्रदेश में ग्राम सभा की चारागाह भूमि एवं जनपद में स्थापित गौवंश शेल्टर में उपलब्ध रिक्त भूमि पर चारा प्रजातियों का रोपण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।
- (च) जनपद के महत्वपूर्ण शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु सघन वन / मियावाकी पद्धति से मूल वन स्थापित किये जायें।

6.2 ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण की रणनीति:

- (क) ग्राम पंचायतवार माइक्रोप्लानिंग: प्रदेशव्यापी वृक्षारोपण अभियान की मूल इकाई ग्राम पंचायत निश्चित की गयी है।
 - "सबकी योजना तथा सबका विकास" अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर निरूपित किये जाने वाले ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) में प्रस्तावित वृक्षारोपण को सम्मिलित कराया जाये।

- माइक्रोप्लान को पूर्व वर्षों में कराये गये वृक्षारोपण के दृष्टिगत अद्यावधिक कर लिया जाय तथा ग्राम पंचायतवार वर्षवार रोपित पौधों का विवरण ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण पंजिका के रूप में संधारित किया जाय।
 - माइक्रोप्लान के अन्तर्गत रोपित पौधों के रख-रखाव यथा- निराई-गुडाई, सिंचाई, मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों का रोपण आदि तथा सुरक्षा हेतु तार-बाड़/कैटिल प्रूफ ट्रेनिंग/ जैविक घेर बाड़ हेतु वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
 - प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की इच्छानुसार माइक्रोप्लानिंग में चिन्हित प्रजातियों के पौधों का पौधशालाओं में उपलब्धता सुनिश्चित की जाय तथा वृक्षारोपण की अग्रिम तैयारी ससमय पूर्ण की जाय।
 - वृक्षारोपण कार्य के तकनीकी स्वरूप को देखते हुये सम्बन्धित वन रक्षक को ग्राम पंचायत में माइक्रोप्लानिंग हेतु विशिष्ट आमंत्रि के रूप में नामित किया जाय।
 - माइक्रोप्लानिंग में महिलाओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर उनकी इच्छानुसार भी प्रजातियों को उगाया जाय।
 - ग्राम पंचायत को नोडल इकाई मानते हुये मनरेगा गाईडलाइन्स के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य कराया जाय।
- (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु तैयार की गई ग्राम पंचायतवार माइक्रोप्लान की वन विभाग से भिन्न विभागों के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निम्नवत श्रेणियां बनायी गयी हैं-
- (i) श्रेणी 1 - माइक्रोप्लान में चिन्हित ऐसे कृषक / व्यक्ति जिनके द्वारा वृक्षारोपण
- (अ) स्वयं के संसाधन अथवा
- (ब) औद्योगिक संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों से किया जायेगा।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ऐसे वृक्षारोपण के संबंध में केवल अभिलेखीकरण (Documentation) का कार्य किया जायेगा।
- (ii) श्रेणी 2- माइक्रोप्लान में चिन्हित ऐसे कृषक / व्यक्ति, जिन्हें उनकी इच्छा की प्रजाति के पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उनका रोपण उनकी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा: माइक्रोप्लान में चिन्हित कृषक / व्यक्ति जो मनरेगा योजना के अन्तर्गत मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-1 के पैरा-5 के अन्तर्गत उल्लिखित सूची में सम्मिलित है, उनकी इच्छा की प्रजाति के पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उनका रोपण उनकी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा। इस श्रेणी के वृक्षारोपण से ग्राम्य विकास विभाग,

पंचायतीराज विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग तथा श्रम विभाग के लक्ष्य सामान्यतः समायोजित होंगे।

(iii) श्रेणी 3- माइक्रोप्लान में चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों की सामुदायिक भूमि तथा अन्य राजकीय विभागों की भूमि पर वृक्षारोपण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा तथा पौध वन विभाग द्वारा आपूर्ति की जायेगी: इस श्रेणी के वृक्षारोपण के सापेक्ष सामान्यतः ऐसे विभाग यथा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग तथा अन्य विभागों, जिनके अपने परिसर हों, उनके द्वारा किये गये वृक्षारोपण से सम्बन्धित विभागों के लक्ष्य समायोजित होंगे।

(iv) श्रेणी 4- (अ) वन विभाग द्वारा वन भूमि एवं सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा: इस श्रेणी के वृक्षारोपण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का लक्ष्य समायोजित होगा।

(ब) उद्यान विभाग एवं रेशम विभाग द्वारा उनके द्वारा चिन्हित भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा: इस श्रेणी के वृक्षारोपण में उद्यान विभाग एवं रेशम विभाग के लक्ष्य समायोजित होंगे।

(ग) सभी राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य मार्ग एवं यूपीडा द्वारा निर्मित राजमार्गों के किनारे छायादार वृक्ष लगाये जायें। लोक निर्माण विभाग द्वारा राजमार्गों के निर्माण की परियोजना में वृक्षारोपण का अवयव (component) अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय।

(घ) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक हेक्टेयर क्षेत्र में ग्राम वन की स्थापना की जाय।

6.3 शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण की रणनीति:

- माइक्रोप्लान को पूर्व वर्षों में कराये गये वृक्षारोपण के दृष्टिगत अद्यावधिक कर लिया जाय तथा शहरी निकायवार वर्षवार रोपित पौधों का विवरण वृक्षारोपण पंजिका के रूप में संधारित किया जाय।
- माइक्रोप्लान के अन्तर्गत रोपित पौधों के रख-रखाव यथा- निराई-गुड़ाई, सिंचाई, मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों का रोपण आदि तथा सुरक्षा हेतु सी0पी0टी0/तार-बाड़/ट्री गार्ड हेतु वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
- प्रत्येक शहरी निकाय में वृक्षारोपण हेतु माइक्रोप्लानिंग में चिन्हित प्रजातियों के पौधों को पौधशालाओं में उपलब्धता सुनिश्चित की जाय तथा वृक्षारोपण की अग्रिम तैयारी ससमय पूर्ण की जाय।
- शहरी क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतः भूमि उपलब्धता के आधार पर सघन वृक्षारोपण किया जाय उदाहरणस्वरूप नंदन वन

(4,400 पौध प्रति हेक्टेयर) तथा मियावाकी पद्धति से रोपण इत्यादि। इस कार्य हेतु वन विभाग का सक्रिय सहयोग लिया जाय।

- माइक्रोप्लानिंग में महिलाओं को भी विशेष रूप से आमंत्रित कर उनकी इच्छानुसार भी प्रजातियों को उगाया जाय।
- शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु तैयार की गई नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतवार माइक्रोप्लान से आवास विकास, नगर विकास, उद्योग, औद्योगिक विकास, रक्षा, रेलवे एवं परिवहन विभाग के लक्ष्य समायोजित होंगे।
- शहरों में वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि के साथ-साथ सड़कों के किनारे “एक मार्ग-एक प्रजाति” के आधार पर वृक्षारोपण कराने की व्यवस्था की जाय।

7- पौध रोपण की रणनीति:-

वृहद स्तर पर पौधों के रोपण, विभाग/संस्था/व्यक्ति को वांछित प्रजाति के पौधों की ससमय आपूर्ति, वृक्षारोपण कार्य का अनुश्रवण, आदि कार्यों को निम्नानुसार संचालित कराया जाय:-

- विगत वर्षों में रोपण की सफलता का स्तर मानक के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु वन विभाग का शासनादेश सं0-554/चौदह-5-2003-(5)(10)/93, दिनांक 10-07-2003 के अनुरूप अधिकतम 10 प्रतिशत तक पौध लगाकर बीटिंग अप (मृत / कमजोर पौध के स्थान पर नवीन पौध का रोपण) की कार्यवाही सभी सम्बंधित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जाय।
- पौधरोपण / वृक्षारोपण कार्यक्रम में सभी स्तर के स्थानीय जन प्रतिनिधियों का सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित की जाय।
- व्यापक सक्रिय जनसहभागिता तथा समस्त सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसाईटी, NCC, NSS, नेहरू युवा केन्द्र, युवक मंगल दल महिला मंगल दल आदि, Rotary/Rotract/Lions Club, सभी व्यापार मण्डल, किसान उत्पादक संगठन (FPO) आदि की प्रतिभागिता के साथ वृक्षारोपण अभियान संचालित किया जाये।
- जनपद का मास्टर प्लान तैयार किया जाय, जिसमें स्थलवार प्रतिभाग करने वाले जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संस्थाएं / विभाग आदि के विवरण के साथ नर्सरी से वृक्षारोपण स्थल तक पौध ढुलान का विस्तृत विवरण व उक्त से सम्बंधित लॉजिस्टिक का विवरण सम्मिलित हो।

8- पौधों के रोपण की सूचना वन विभाग द्वारा प्राप्ति / संकलन के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण-

वृहद स्तर पर किये जाने वाले पौधारोपण की सूचना के प्रदेश स्तर पर त्वरित, त्रुटि रहित संकलन व प्रदर्शन हेतु आवश्यक है कि वृक्षारोपण स्थल से जिला स्तर पर स्थापित वन विभाग के प्रभागीय नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) तक तथा वहाँ से प्रदेश के वन मुख्यालय स्थित कमाण्ड सेन्टर तक निर्बाध रूप से त्रुटि रहित सूचनाएं समय से प्राप्त हो। वन विभाग प्रदेश स्तर पर वृक्षारोपण हेतु नोडल विभाग है अन्य राजकीय विभागों द्वारा जनपद स्तर पर नोडल विभाग / वन विभाग के प्रतिनिधि प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय निदेशक के स्तर एवं वन मुख्यालय तक पौध रोपण की सूचना की प्राप्ति हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है-

- अन्य विभागों की ग्राम पंचायतवार / नगर निकायवार रोपित की गयी पौध की स्थलवार संकलित सूचना वृक्षारोपण प्रारम्भ होने से समाप्त होने तक खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा अपने हस्ताक्षर से जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को प्रतिदिन प्रेषित की जाये।
- जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा जनपद की संकलित सूचना तत्काल मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित की जाये।
- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त सूचना को अपने हस्ताक्षर से जनपद में प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक के कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) को प्रेषित की जाये।
- जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय निदेशक द्वारा उक्त सूचना वन विभाग के पी०एम०एस० पर तत्काल अपलोड करायी जायेगी, जिससे कि प्रदेश स्तर पर हो रहे पौध रोपण की प्रगति वन मुख्यालय (लखनऊ) स्थित कमाण्ड सेन्टर पर उपलब्ध हो सके।
- प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्राप्त संकलित सूचना संरक्षित रखते हुए जिलाधिकारी को भी अवगत कराते रहेंगे।

9- पौधों की उपलब्धता के लिए रणनीति-

प्रदेश में वर्ष 2023-24 में वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त संख्या में पौधों की उपलब्धता आवश्यकता होगी तथा प्रजाति विशेष के अनुसार एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष के पौध की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी होगी। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाय :-

- (1) निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पौधों का उगान नर्सरियों में किया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में इनकी उपलब्धता हेतु जिला वृक्षारोपण समिति बैठक करके रणनीति तैयार करेगी।

- (2) वन विभाग द्वारा रोपण हेतु उपयुक्त प्रजातियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पौधाशालाओं (नर्सरी) की आवश्यकतानुसार स्थापना एवं उद्घीकरण कराया जाना वांछित है, जिससे कि वृहद स्तर पर पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- (3) पौध उगान हेतु आधारभूत क्षमता तथा दक्ष मानव संसाधन वाले विभागों यथा उद्यान विभाग, रेशम विभाग, रक्षा विभाग, रेलवे विभाग, नगर विकास विभाग एवं आवास विकास विभाग द्वारा भी वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पौध तैयार करने की कार्यवाही की जाय। सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार की गई पौधों की सूचना वन विभाग द्वारा विकसित पोर्टल Nursery Management System (N.M.S.) पर अपलोड की जाय।
- (4) निजी पौधशालाओं से पौधों का क्रय तभी किया जाय, जब प्रभागीय वनाधिकारी /प्रभागीय निदेशक द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी विभाग को यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया गया हो कि उनके नियंत्रणाधीन विभागीय पौधशालाओं में पौध उपलब्ध नहीं है। यदि निजी पौधशाला से पौध क्रय की जाती है, तो वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन किया जाय।

निजी पौधशालाओं में उपलब्ध पौधों का सर्वेक्षण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाय एवं जनपदों में उपलब्ध इन पौधों की पौधशालावार एवं प्रजातिवार सूचना संकलित करते हुए जिला वृक्षारोपण समिति को प्रस्तुत की जाय।

- (5) पौधशालाओं से पौधों के वितरण हेतु "डायरेक्ट सैपलिंग ट्रांसफर" (डी0एस0टी0) साफ्टवेयर के माध्यम से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा क्यू0आर0 कोडेड इंडेंट जारी किये जायें तथा इसी माध्यम से पौधों का वितरण किया जाय।

10- रोपित किये गये पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने हेतु रोपण के पश्चात् आगामी 02 वर्षों अथवा पौधों के वृक्ष रूप में स्थापित होने तक सुरक्षा एवं रख-रखाव किया जाय। इस हेतु जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा अपनी प्रत्येक मासिक बैठक में विभागवार लक्ष्यों, रोपित पौधों की संख्या व रोपित पौधों की जीवितता का नियमित अनुश्रवण किया जाय।

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-1266/31-2019-65/2014 टी०सी०-1, दिनांक 08-08-2019 के अनुक्रम में जनपद में वन विभाग, अन्य विभाग जिसका सबसे

अधिक लक्ष्य हो तथा अपने विभाग (यदि लक्ष्य आवंटित हो) द्वारा कराये जा रहे वृक्षारोपण की 1 अथवा 2 साइटों का भौतिक सत्यापन करेंगे।

11- वृक्षारोपण हेतु वित्तीय आवश्यकता:

(क) ग्रामीण क्षेत्र:

- श्रेणी 1- कोई वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।
- श्रेणी 2- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त विचार-विमर्श के उपरान्त मनरेगा श्रम बजट में ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त क्रिया-कलाप यथा अग्रिम मृदा कार्य, पौधरोपण, अनुरक्षण आदि हेतु प्राविधान कराया जाय।
- श्रेणी 3 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा उद्यान व रेशम विभाग द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त क्रिया-कलाप यथा अग्रिम मृदा कार्य, पौधरोपण, अनुरक्षण आदि कराया जाय।

(ख) शहरी क्षेत्र:

सम्बन्धित विभागों द्वारा वृक्षारोपण अपने वित्तीय संसाधनों से वृक्षारोपण सम्बन्धित समस्त क्रिया-कलाप यथा अग्रिम मृदा कार्य, पौधरोपण, अनुरक्षण आदि हेतु प्राविधान से कराया जाय।

12- जिला वृक्षारोपण समिति- जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति गठित हैं, जिसके संयोजक सम्बन्धित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक हैं तथा सभी कार्यदायी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी इसके सदस्य हैं। वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करने हेतु समिति का मुख्य दायित्व समन्वय, नियोजन एवं नियमित अनुश्रवण करना है। जिला वृक्षारोपण समिति जनपद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी तथा समय से रणनीति तैयार कर जिले के आवंटित वृक्षारोपण लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त करेगी। जिला वृक्षारोपण समिति समस्त विभागों के निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियमित रूप से समीक्षा बैठक कर वृक्षारोपण से सम्बन्धित तैयारियों एवं प्रगति का अनुश्रवण करेगी।

13- मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों द्वारा भी वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जायेगी।

14- वृक्षारोपण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समय सारणी-

आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्न समय-सारिणी के अनुसार समस्त कार्यदायी विभागों को सम्मिलित करते हुए जनपद स्तर पर गठित जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक कराकर आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करते हुए प्रत्येक कार्यदायी विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्यों के अनुसार कार्ययोजना तैयार कर ली जाय। कार्ययोजना में वृक्षारोपण स्थल एवं स्थलवार रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण, पौधों की प्राप्ति के लिए स्रोत (पौधशाला चिन्हांकन) तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम आदि का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यों के सम्पादन के लिए निम्नलिखित समय-सारणी निर्धारित की जा रही है -

1	जिला वृक्षारोपण समिति की नियमित बैठक का आयोजन।	आवश्यकतानुसार/सप्ताह में कम से कम एक बार
2	नर्सरी एवं वृक्षारोपण तैयारी की समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर कण्ट्रोल रूम की स्थापना।	05 जून
3	माइक्रोप्लानिंग द्वारा वृक्षारोपण स्थलों का चिन्हीकरण, जीओ टैगिंग, रोपित की जाने वाली प्रजातियों एवं उनकी संख्या का निर्धारण।	06 जून तक
4	अग्रिम मृदा कार्य व वृक्षारोपण हेतु मनरेगा से धनराशि प्राप्त करने हेतु डी0आर0डी0ए0 को योजना प्रस्तुत करना।	मनरेगा गाइडलाइन्स के अनुसार
5	डी0आर0डी0ए0 द्वारा अग्रिम मृदा कार्य व वृक्षारोपण परियोजना की स्वीकृति एवं बजट अवमुक्त करना।	मनरेगा गाइडलाइन्स के अनुसार
6	अग्रिम मृदा कार्य (गडढा खुदान एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित) (Manual, Augur and JCB Machine)	10 जून
7	सिंचाई हेतु व्यवस्था-बोरिंग आदि।	10 जून
8	स्थलवार वृक्षारोपण एक्शन प्लान का निरूपण।	08 जून
9	गडढा भरान कार्य (कीटनाशक एवं खाद का उपयोग करें)।	20 जून
10	वृक्षारोपण हेतु पौध की व्यवस्था- नर्सरी चिन्हांकन।	08 जून
11	नर्सरियों से वन/अन्य विभाग के वृक्षारोपण क्षेत्र हेतु पौध आपूर्ति प्लान तैयार करना।	08 जून
12	पौध ढुलान हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।	12 जून
13	जनपद की स्वयं सेवी संस्थाओं से सम्पर्क कर वृक्षारोपण में अधिकतम जनसहभागिता।	12 जून

14	प्रत्येक जनपद हेतु गणमान्य व्यक्ति यथा मा0 मंत्री/सांसद/विधायक/जन प्रतिनिधि अथवा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को वृक्षारोपण कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाना।	20 जून
15	प्रत्येक रोपण स्थल पर Smart phone से latitude and longitude सहित फोटोग्राफी की व्यवस्था करना।	20 जून
16	पौधशालाओं से रोपण स्थल तक पौध का ढुलान	25 जून
17	वृक्षारोपण से सम्बंधित फोटोग्राफस एवं अन्य अभिलेख प्रेषित करना तथा Best Performance with Innovative ideas को इंगित करना।	15 सितम्बर
18	वृक्षारोपण स्थलों का निरीक्षण एवं जीवितता का सत्यापन।	30 सितम्बर

15- वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन- प्रजातियों के चयन हेतु प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मृदा एवं एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अनुसार रोपित किये जाने वाली उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का विवरण परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है। रोपित की जाने वाली प्रजातियों के सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यथासंभव स्थानीय प्रजातियों (Indigenous species) के रोपण को प्राथमिकता दी जाय। परिशिष्ट-2 में उल्लिखित प्रजातियों के अतिरिक्त भी यदि मृदा/जलवायु एवं अन्य प्रजातियों के लिए उपयुक्त हो, तो उनका भी रोपण किया जा सकता है। वृक्षारोपण में कम से कम 20 प्रतिशत फलदार पौधों का प्रत्येक दशा में रोपण सुनिश्चित करते हुए पीपल, नीम, इमली, जामुन, अर्जुन, पाकड़, बरगद आदि प्रजातियों के पौधों को प्रमुखता से शामिल किया जाय। पारिस्थितिकीय तंत्र विकास हेतु विभिन्न नयी प्रजातियों यथा चन्दन, कालाशीशम, महगौनी, खजूर, गम्हार आदि के पौधों के रोपण को भी प्रोत्साहित किया जाय।

16- वृक्षारोपण हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के लिये समीक्षा की प्रक्रिया: इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 16.1 जिलाधिकारी द्वारा माइक्रोप्लान के आधार पर वृक्षारोपण सम्पन्न कराने हेतु जिला वृक्षारोपण समिति की आवश्यकतानुसार/सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक का आयोजन किया जाय।
- 16.2 मण्डलायुक्त द्वारा माइक्रोप्लान के आधार पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण आवश्यकतानुसार/पक्ष में कम से कम एक बार किया जाय।
- 16.3 अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) के नेतृत्व में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें समस्त कार्यदायी विभागों के अपर मुख्य सचिव /

प्रमुख सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि की उपस्थिति में विभागवार प्रगति की समीक्षा की जाय।

16.4 मुख्य सचिव, उ०प्र० की अध्यक्षता में समस्त जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्तों की आयोजित पाक्षिक/साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग में वृक्षारोपण की विभागवार प्रगति की समीक्षा की जाय।

17- **जियो टैगिंग:** वृक्षारोपण कार्य की प्रमाणिकता बढ़ाने हेतु शहरी क्षेत्रों के समस्त स्थलों की तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुये जी०पी०एस० के माध्यम से जियो-टैगिंग की जाय।

18- अनुश्रवण

जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा वृक्षारोपण के रख-रखाव पर विशेष बल दिया जाय। इस हेतु जिलाधिकारी अपने मासिक बैठक में विभागवार लक्ष्यों, रोपित पौधों की संख्या व इसकी सफलता का नियमित अनुश्रवण अवश्य करें। रोपित किये जाने वाले वृक्षारोपण की ग्रेडिंग हेतु वृक्षारोपण रिपोर्ट कार्ड विकसित किया जाय तथा इस ग्रेडिंग कार्ड के आधार पर रोपित वृक्षारोपणों की गुणवत्ता का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार सुधार कार्य सुनिश्चित कराया जाय।

(क) वृक्षारोपण कार्यों के स्थलीय सत्यापन हेतु व्यवस्था निम्न प्रकार होगी:-

(1) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित वृक्षारोपण अनुश्रवण पद्धति (Plantation Monitoring System- PMS)

वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा विकसित उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से अनुश्रवण हेतु सभी विभागों द्वारा वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति प्रतिदिन सक्षम स्तर को उपलब्ध करायी जाय, जिसका अनुश्रवण प्रतिदिन वन एवं वन्य जीव विभाग के कमाण्ड सेन्टर द्वारा किया जाय।

(2) वन एवं वन्य जीव विभाग के विभागीय वृक्षारोपणों का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित वन संरक्षकों द्वारा अन्तर्विभागीय जांच दलों से कराया जाय। विभागीय अनुश्रवण शाखा द्वारा भी प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के रोपण की सफलता का आंकलन रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर कराया जाय।

(3) अन्य विभागों के विभागीय वृक्षारोपण के कार्यों का स्थलीय सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से अन्तर्विभागीय जांच समितियाँ गठित कर अथवा भिन्न संस्थाओं द्वारा कराया जाय।

(4) सम्बन्धित विभाग जिन्हें वृक्षारोपण लक्ष्य आवंटित किये गये हैं, के द्वारा स्थलवार रोपित पौधों का विकास खण्ड वार विवरण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में रखा जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि सत्यापन हेतु जांच टीम को ससमय उक्त विवरण उपलब्ध हो सके।

(ख) पौध उगान कार्यों का अनुश्रवण:-

(1) वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा तैयार किये गये पौधों का अनुश्रवण जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक तथा वन संरक्षक द्वारा किया जाय तथा प्रगति रिपोर्ट कमान्ड सेन्टर को अनिवार्यतः ससमय उपलब्ध करायी जाये। समस्त पौधशालाओं (विभागीय तथा निजी) की ग्रेडिंग हेतु नर्सरी ग्रेडिंग कार्ड विकसित कराकर पौधशालाओं में उपलब्ध पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जाय। पौधों की वांछित सूचना के साथ-साथ उक्त ग्रेडिंग को भी NMS पर अंकित कराया जाय।

(2) ग्राम्य विकास विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा उगाई जाने वाली पौधों का स्थलीय सत्यापन जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

(3) वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा विकसित Nursery Management System (NMS) तथा Plantation Management System (PMS) का उपयोग अन्य विभागों द्वारा किये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसमें प्रत्येक विभाग को पासवर्ड उपलब्ध कराया जाये तथा इसके उपयोग हेतु स्थानीय स्तर पर उन्हें प्रशिक्षण वन विभाग द्वारा दिया जाय। प्रदेश की निजी पौधशालाओं का पंजीकरण कर उनके पास उपलब्ध रोपण योग्य पौधों को वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा तथा ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों द्वारा उगाये गये पौधों का विस्तृत विवरण सम्बन्धित विभागों द्वारा वन एवं वन्य जीव विभाग के NMS (Nursery Management System) साफ्टवेयर पर अपलोड किया जाय।

(ग) **पौध वितरण/आपूर्ति व्यवस्था:-** पौधशालाओं से विभिन्न विभागों को पौध वितरण में पारदर्शिता हेतु 'डायरेक्ट सैपलिंग ट्रांसफर' आनलाईन साफ्टवेयर का उपयोग किया जाय। पौधशाला से गन्तव्य स्थल तक पौधों के अभिवहन की पुष्टि हेतु वाहनों की ट्रैकिंग की जाए।

(घ)- **पौध रोपण:-** पौध आपूर्ति के पश्चात् सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पौध रोपण की पुष्टि अवश्य कराई जाय।

19- स्वतन्त्र मूल्यांकन: वृक्षारोपण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा कराये गये कार्यों का अनुश्रवण किसी भी कार्यक्रम की गुणवत्ता व सफलता के मानक का प्रथम स्तर होता है। इस वृक्षारोपण का भी तीसरी व स्वतन्त्र एजेन्सी से अनुश्रवण व मूल्यांकन आवश्यक है।

वर्तमान में भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून सेटलाइट इमेज के माध्यम से वृक्षारोपण व वनावरण के परिवर्तन का द्विवार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1987 से निरन्तर प्रकाशित कर रहा है। साथ ही देश में कैम्पा के अंतर्गत कराए गए वृक्षारोपण का ग्रीन ई-वॉच (Green E-Watch) के माध्यम से अनुश्रवण व मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। अतः इस कार्यक्रम के स्वतंत्र मूल्यांकन हेतु

भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून/विभागीय संस्थाओं के माध्यम से अनुश्रवण व मूल्यांकन कराया जाय।

20- पंजीकृत किसानों के द्वारा अनिवार्यतः 10 पौधे लगाये जाय : प्रदेश में कृषि विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत लगभग 02 करोड़ किसान कृषि कार्यों में सरकार से अनुदान व सहयोग प्राप्त करते हैं। वृक्षारोपण अभियान में कृषकों को प्राथमिकता के साथ जोड़ा जाय। इन पंजीकृत किसानों द्वारा 10 पौधों का रोपण अनिवार्यतः किया जाय तथा इन पौधों के रोपण के साथ-साथ उनके अनुरक्षण की भी व्यवस्था कृषकों के द्वारा की जाये।

विभिन्न प्रचलित केन्द्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं के लाभार्थियों को भी वृक्षारोपण अभियान में शामिल करते हुए रोपण को प्रोत्साहित किया जाय। शिक्षा विभाग द्वारा बेसिक एवं माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को फलदार ग्राफ्टेड पौधे उपलब्ध कराये जायें।

21- औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सामाजिक उत्तरदायित्व (सी०एस०आर०):

विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम को सहभागी एवं जन उपयोगी बनाया जायेगा। प्रदेश के निवासी जो प्रदेश से बाहर कार्यरत हैं, उन्हें भी आमंत्रण देकर वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाये तथा उनसे प्राप्त वित्तीय सहयोग का उपयोग वृक्षारोपण के विभिन्न क्रिया-कलापों में यथा जागरूकता, ब्रांडिंग, सुरक्षा आदि किया जाय।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले औद्योगिक संस्थानों द्वारा सी०ई०आर० (Corporate Environmental Responsibility) के अन्तर्गत पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के पुर्नस्थापन में वित्त पोषण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

22- कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का आकलन: रोपित किये जाने वाले पौधों द्वारा भविष्य में वातावरण में विद्यमान कार्बन डाईऑक्साइड को कार्बन के अन्य स्वरूपों में दीर्घ काल के लिए संचयित किया जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। रोपित किये जाने वाले पौधों द्वारा भविष्य में किये जाने वाले कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का आकलन भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था के माध्यम से ही कराया जाय।

23- कृषि वानिकी के अन्तर्गत रोपित किये जाने वाले पौधों को वृक्षारोपण अभियान के रोपण में सम्मिलित किया जाना: प्रदेश में कृषि वानिकी के अन्तर्गत विभिन्न प्रजातियों का वृक्षारोपण प्रचलित है, जिससे प्रकाष्ठ आधारित उद्योग यथा प्लाइवुड (PLYWOOD), विनियर (VENEER) हेतु उत्पाद उपलब्ध होता है। इन उद्योगों के उत्पाद हेतु आस-पास में स्थापित बाजार हैं। बाजार में आपूर्ति तथा कृषकों की आय में वृद्धि के दृष्टिगत कृषकों को अपने स्वयं के निजी खेत, मेड़ आदि पर कृषि वानिकी के अन्तर्गत वृहद स्तर पर पौध रोपण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

24- चारा प्रजातियों का रोपण: आर्थिक रूप से उपयोगी प्रजातियों तथा विभिन्न एग्रोक्लाइमेटिक जोन में उगने वाले चारा प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा देने हेतु ज्ञान-साथी (Knowledge Partner) के रूप में प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI) तथा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (IGFRI-Indian Grassland and Fodder Research Institute) आदि को चिन्हित किया गया है। वृक्षारोपण अभियान में चारा प्रजातियों के रोपण द्वारा कृषकों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाय।

वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत पशुओं हेतु चारा के लिये शहतूत, सहजन, देशी बबूल, सीरस, जंगल जलेबी, अगस्त, कचनार, बेर, शीशम व खेजड़ी आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण चारागाह व गौवंश आश्रय स्थलों में भी किया जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त मरुस्थलीकरण से होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने हेतु विभिन्न तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर रणनीति तैयार किया जाय।

25- सहायतित प्राकृतिक पुनर्जनन: ऐसे अवनत वन, जो जैविक एवं अन्य दबाव के कारण प्राकृतिक रूप से स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, उनकी स्थापना में प्रबन्ध कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वांछित प्रजातियों का रोपण कर प्राकृतिक शस्य के संवर्द्धन का कार्य किया जाना आवश्यक है। उक्त हेतु साल वनों तथा साल वनों के अतिरिक्त अन्य वन क्षेत्रों में किया जाने वाला सहायतित प्राकृतिक पुनर्जनन (ए0एन0आर0) वृक्षारोपण लक्ष्य में शामिल किया जाय तथा इसमें तकनीकी मानक के अनुसार प्रति हेक्टेयर पौधों का आगणन किया जाय।

26- विरासत वृक्षों का अंगीकरण: प्रदेश में पौराणिक/ऐतिहासिक अवसरों, महत्वपूर्ण घटनाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों, स्मारकों, धार्मिक परम्पराओं व मान्यताओं से जुड़े हुये वृक्षों को संरक्षित कर जनसामान्य में इनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए चिन्हित विरासत वृक्षों के अंगीकरण हेतु माननीय जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाय। जनसेवकों का भी इस कार्य हेतु सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय।

27- अत्याधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग: वृक्षारोपण के प्रभावी अनुश्रवण, सूचना का आदान-प्रदान, सूचना का संकलन, पौध रोपण, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग, ड्रोन, मोबाइल ऐप, पी0एम0एस0, एन0एम0एस0, सोशल मीडिया व अन्य उपयोगी साफ्टवेयर आदि का नियमानुसार क्रय एवं उपयोग इस कार्य में किया जाय, जिससे कार्यों के सम्पादन में अत्याधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सके।

28- प्रशिक्षण कार्यक्रम: वृक्षारोपण अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्रीन स्किल डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत वन विभाग की पौधशालाएं सेंटर आफ एक्सिलेंस (Centre of Excellence)

होंगी, जहाँ वृक्षारोपण एवं पौध उगान कार्यों का तकनीकी प्रशिक्षण ग्राम प्रधान, विभिन्न विभागों के ग्राम स्तरीय कार्मिकों, स्वयं सहायता समूहों तथा कृषकों को दिया जाय।

29- **ईको क्लब:** समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में ईको क्लब स्थापित है, जिन्हें पर्यावरण जागरूकता कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। ईको क्लब का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का निर्धारित पाठ्यक्रम/गतिविधियों से इतर पर्यावरणीय अवधारणाओं एवं कार्य-कलापों की सम्भावनाएं तलाशना है। विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने हेतु वृक्षारोपण अभियान में ईको क्लब द्वारा निकटस्थ वेटलैण्ड, ईको टूरिज्म स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय स्थलों के भ्रमण की व्यवस्था सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य से कराते हुये वृक्षारोपण में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाय, जिससे उन्हें पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पौधरोपण का भी प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त हो सके।

30- **मीडिया प्लान:** पौधरोपण हेतु सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुये वृक्षारोपण जन-आन्दोलन के अन्तर्गत अभियान चलाकर वृक्षारोपण किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का वृहद प्रचार-प्रसार किया जाय। वृक्षारोपण के इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिये सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाय। जनजागरूकता हेतु सोशल मीडिया/संस्था का उपयोग करते हुये वृक्षारोपण कार्यक्रम की ब्रान्डिंग कराई जाय।

31- **उत्कृष्ट कार्यों हेतु पुरस्कार-** वृक्षारोपण अभियान में प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट कार्य हेतु विभिन्न दावेदारों द्वारा आवेदन अपलोड करने हेतु सूचना विभाग द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जाय। प्राप्त आवेदनों पर प्रदेश में उत्कृष्ट जनपद, उत्कृष्ट मण्डल, उत्कृष्ट जन सामान्य व उत्कृष्ट जनप्रतिनिधि - कुल चार वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा चयन किया जाय।

32- वृक्षारोपण कार्यक्रम का नोडल विभाग वन एवं वन्यजीव विभाग होगा, जो वृक्षारोपण अभियान के सफलतापूर्वक सम्पादन हेतु वांछित मार्ग निर्देशन एवं अनुश्रवण के लिए जनपदों में नोडल अधिकारियों की तैनाती करेगा, जिसके आदेश उनके द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कृपया कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(मनोज सिंह)


अपर मुख्य सचिव।

6/2023/242
संख्या- /81-5-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ० प्र० शासन ।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
गृह विभाग/ ग्राम्य विकास/ पंचायतीराज/ राजस्व/आवास/ औद्योगिक विकास/ नगर विकास/
लोकनिर्माण/ जलशक्ति / रेशम /कृषि/पशुपालन/ सहकारिता/उद्योग/ ऊर्जा/ माध्यमिक शिक्षा/
बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा/ श्रम/ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/ परिवहन/
रेलवे/ रक्षा/ उद्यान को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित लक्ष्यों को पूर्ण
कराने का कष्ट करें।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 4- क्षेत्रीय महाप्रबन्धक रेलवे-उत्तर पूर्वी, उत्तर, उत्तर मध्य जोना (पी०सी०सी०एफ० के माध्यम से)
- 5- मण्डलीय प्रबन्धक रेलवे-लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, इज्जतनगर (बरेली), वाराणसी,
डी०एल०डब्लू (वाराणसी), प्रयागराज, आगरा एवं झांसी मण्डल। (पी०सी०सी०एफ० के
माध्यम से)
- 6- जी०ओ०सी० सेन्ट्रल कमाण्ड, लखनऊ। (पी०सी०सी०एफ० के माध्यम से)
- 7- प्रभारी अधिकारी, भारतीय वायुसेना स्टेशन-बक्शी का तालाब (लखनऊ), चकेरी (कानपुर),
बरेली, गोरखपुर, आगरा, हिण्डन (गाजियाबाद), सरसावा (सहारनपुर), बमरौली
(प्रयागराज) । (पी०सी०सी०एफ० के माध्यम से)
- 8- समस्त सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष । (पी०सी०सी०एफ० के माध्यम से)
- 9- समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र० । (पी०सी०सी०एफ० के माध्यम से)
- 10- समस्त वन संरक्षक, उ०प्र० । (पी०सी०सी०एफ० के माध्यम से)
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2023-24 में वन एवं अन्य जीव विभाग तथा अन्य विभागों के जनपद एवं विभागवार वृक्षारोपण का लक्ष्य

क्र. सं.	जनपद का नाम	वन एवं अन्य जीव विभाग का लक्ष्य	मृदातरण विभाग	आयुर्विभाग	शुण्ठक विभाग	पशुपत विभाग	आवास विकास विभाग	औद्योगिक विकास	सुरक्षा विकास	नोका विभाग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मेरठ	423700	99000	1338000	111000	155000	7000	14000	99000	19000
2	आगवात	204100	32000	518000	52000	63000	6000	42000	20000	17000
3	शाजियाबाद	102100	29000	508000	25000	31000	6000	11000	171000	16000
4	हाथुड़	153100	50000	517000	44000	53000	6000	8000	57000	16000
5	गोतमपुर नगर	102100	42000	247000	21000	25000	8000	9000	220000	19000
6	हुजूर शहर	848500	152000	1966000	164000	199000	5000	7000	27000	15000
7	मेरठ मण्डल	1801600	404000	4994000	418000	505000	39000	91000	674000	101000
8	सहायपुर	1194100	166000	1942000	163000	198000	5000	11000	25000	15000
9	शामली	330700	71000	1490000	125000	152000	7000	17000	29000	21000
10	सहायपुर मण्डल	1753400	268000	3995000	335000	407000	21000	40000	83000	58000
11	आगवात	1490100	185000	1953000	163000	197000	10000	11000	260000	22000
12	मेरठपुरी	1200200	186000	1402000	118000	143000	8000	14000	28000	18000
13	मेरठपुरी	843000	176000	1687000	142000	172000	8000	16000	31000	22000
14	किरोडाबाद	2249400	247000	1238000	104000	126000	5000	12000	22000	15000
15	आगवात मण्डल	5782700	754000	6280000	527000	638000	31000	50000	341000	77000

क्र०	जनपद का नाम	वन एवं वन्य जीव विभाग का नाम	पर्यावरण विभाग	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व विभाग	पंचायतीराज विभाग	आवास विकास विभाग	औद्योगिक विकास	नगर विकास	लोक निर्माण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	अलीगढ़.	908300	221000	1975000	165000	200000	8000	10000	31000	17000
15	हाथरस	741000	100000	912000	77000	93000	7000	7000	22000	15000
16	एटा	632800	93000	1269000	107000	129000	7000	8000	24000	16000
17	कासगंज(कासीखण्ड)	663400	84000	978000	82000	99000	6000	11000	21000	16000
	अलीगढ़ मण्डल	2945500	498000	5132000	431000	521000	28000	36000	98000	64000
18	भुसावंधा	229600	86000	1109000	92000	112000	4000	10000	108000	12000
19	संभल	269400	64000	1254000	105000	128000	8000	10000	27000	18000
20	साम्भर	442900	59000	1235000	104000	126000	6000	7000	23000	14000
21	अमरसिंह	2043300	178000	1150000	97000	117000	6000	6000	15000	14000
22	बिजनौर	1877900	306000	2513000	211000	256000	6000	11000	29000	15000
	भुसावंधा मण्डल	4863100	693000	7261000	609000	739000	30000	44000	202000	73000
23	बरेली	636900	82000	2150000	181000	219000	6000	9000	92000	14000
24	बदायूं	1326800	175000	2290000	192000	232000	8000	9000	33000	17000
25	पीलीभीत	440800	116000	1992000	167000	203000	9000	10000	36000	22000
26	शाहजहांपुर	1224700	259000	2371000	199000	241000	7000	8000	30000	16000
	बरेली मण्डल	3629200	632000	8803000	739000	895000	39000	36000	191000	69000
27	प्रयागराज	2245300	227000	2987000	251000	304000	5000	9000	137000	12000
28	कौशांबी	679700	92000	944000	789000	95000	5000	9000	18000	13000
29	फर्रुखपुर	1049200	128000	2235000	188000	228000	9000	11000	36000	21000
30	प्रतापगढ़.	1063500	170000	1967000	165000	200000	5000	6000	25000	12000
	प्रयागराज मण्डल	5037700	817000	8133000	682000	827000	24000	35000	216000	58000

क्र० सं०	जनपद का नाम	वन एवं वन्य जीव विभाग का लक्ष्य	पर्यावरण विभाग	ग्राम्य विकास विभाग	राजपूत विभाग	पंचायतीराज विभाग	आवास विकास विभाग	औद्योगिक विकास	नगर विकास	औद्योगिक विकास
		पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	वाराणसी	714400	73000	767000	64000	78000	3000	4000	81000	7000
32	बलिया	3660900	352000	1342000	113000	137000	5000	8000	200000	12000
33	गणजीपुर	1200200	151000	1798000	150000	182000	5000	7000	23000	11000
34	जौनपुर	1455400	234000	2197000	184000	222000	5000	5000	24000	10000
	वाराणसी मण्डल	7030900	810000	6104000	610000	618000	18000	24000	148000	40000
35	सतरविदासनगर	510300	45000	531000	45000	54000	4000	4000	11000	7000
36	मिर्जापुर	4490600	400000	2391000	201000	244000	9000	13000	38000	23000
37	सोनभद्र	6029300	441000	3595000	301000	365000	14000	20000	58000	38000
	मिर्जापुर मण्डल	11030200	886000	6517000	647000	663000	27000	37000	107000	68000
38	गोरखपुर	1551800	222000	1802000	160000	182000	4000	6000	62000	19000
39	सबसेजगज	204100	86000	1548000	130000	158000	6000	7000	24000	13000
40	देवरिया	816500	142000	1353000	113000	137000	5000	4000	18000	9000
41	पडरौना(कुशीनगर)	918500	149000	1571000	132000	160900	5000	6000	21000	11000
	गोरखपुर मण्डल	3490400	599000	6274000	525000	637000	20000	23000	125000	43000
42	बस्ती	1224700	141000	1505000	125000	152000	3000	6000	17000	8000
43	सबकपूरनगर	1234900	166000	926000	78000	94000	3000	6000	13000	8000
44	सिद्धार्थनगर	1377800	136000	1611000	135000	164000	5000	6000	21000	11000
	बस्ती मण्डल	3837400	442000	4042000	338000	410000	11000	18000	51000	27000
45	असमगढ़	1990200	248000	2341000	197000	238000	5000	5000	25000	10000
46	मऊ	1398200	141000	910000	76000	93000	5000	4000	16000	10000
47	बलिया	1592100	185000	1604000	134000	162000	6000	8000	20000	11000

क्र० सं०	जनपद का नाम	वन एवं वन्य जीव विभाग का क्षेत्र	पर्यावरण विभाग	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व विभाग	धनसंग्रहण विभाग	आवास विकास विभाग	औद्योगिक विकास	नगर विकास	लोक निर्माण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	आजमगढ़ मण्डल	4980500	574000	4855000	407000	493000	15000	17000	61000	31000
48	लखनऊ	1334700	149000	1239000	104000	126000	6000	11000	106000	16000
49	रायबरेली	2245300	210000	2097000	176000	214000	7000	9000	31000	17000
50	हरदोई	2245300	235000	3283000	274000	332000	9000	8000	41000	19000
51	उन्नाव	2245300	266000	2502000	210000	255000	7000	7000	33000	17000
52	सीतापुर	1939100	233000	3152000	265000	321000	5000	8000	31000	13000
53	लखीमपुर-खीरी	1992200	259000	4188000	352000	427000	9000	15000	48000	24000
	लखनऊ मण्डल	12001900	1362000	16441000	1381000	1675000	43000	58000	290000	106000
54	अम्बाला	1939100	248000	1378000	115000	139000	6000	7000	23000	13000
55	अम्बाला नगर	1224700	189000	1265000	106000	129000	5000	5000	19000	11000
56	पुलनापुर	1449300	264000	1441000	121000	147000	5000	6000	20000	11000
57	बाराबंकी	2002400	301000	2106000	177000	214000	4000	9000	24000	12000
58	अमेठी	1939100	305000	1256000	105000	128000	4000	9000	17000	11000
	अम्बाला मण्डल	8554600	1307000	7446000	624000	757000	24000	36000	103000	58000
59	गण्डा	1454400	227000	2154000	181000	219000	7000	10000	30000	16000
60	बलरामपुर	449100	125000	1722000	144000	174000	7000	8000	29000	17000
61	श्रावस्ती	2653600	446000	946000	80000	96000	7000	12000	24000	17000
62	बहराइच	1610000	268000	2622000	219000	268000	7000	12000	31000	17000
	देवीघाटन गण्डा मण्डल	6167100	1066000	7444000	624000	755000	28000	42000	114000	67000
63	कानपुर नगर	1430900	241000	1470000	123000	150000	7000	12000	168000	17000
64	कानपुर देहात	3195000	317000	1633000	137000	166000	9000	11000	32000	20000

क्र० सं०	जनपद का नाम	वन एवं वन्य जीव विभाग का लक्ष्य	प्रशासन विभाग	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व विभाग	पंचायतीराज विभाग	श्रमिक विकास विभाग	औद्योगिक विकास	नगर विकास	लोक निर्माण
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
65	फर्रुखाबाद	2959700	197000	1149000	96000	116000	6000	9000	23000	15000
66	फर्रुखाबाद	1939100	153000	1079000	90000	109000	7000	10000	23000	16000
67	इटावा	4694800	249000	1214000	101000	123000	8000	13000	24000	17000
68	औरंगा	2755600	174000	1049000	88000	106000	5000	12000	20000	15000
	कानपुर मण्डल	16975100	1331000	7573000	635000	770000	42000	67000	290000	100000
69	झांसी	4286500	226000	2456000	206000	259000	15000	21000	202000	36000
70	लखितपुर	3572100	193000	2541000	213000	259000	21000	20000	68000	48000
71	जालौन	4558000	266000	2329000	196000	237000	12000	20000	44000	29000
	झांसी मण्डल	12416600	685000	7326000	615000	746000	48000	61000	314000	113000
72	दुमौरपुर	3674200	308000	1899000	160000	191000	14000	26000	48000	33000
73	मुन्दावा	3470000	351000	1610000	126000	154000	17000	24000	50000	40000
74	बांदा	2551500	139000	2234000	187000	227000	13000	20000	44000	32000
75	चित्तकूट	4006400	260000	1652000	139000	168000	15000	18000	47000	35000
	चित्तकूट मण्डल	13702100	1058000	7295000	612000	740000	59000	88000	189000	140000
	महायोग	126000000	13996000	125915000	10560000	12798000	538000	773000	3497000	1293000

क्र० सं०	जनपद का नाम	जल शक्ति विभाग		रेशन विभाग		कृषि विभाग		पर्यावरण विभाग		सहकारिता विभाग		उद्योग विभाग		उर्जा विभाग		शिक्षा विभाग							
		पैय सं०	विभाग	पैय सं०	विभाग	पैय सं०	विभाग	पैय सं०	विभाग	पैय सं०	विभाग	पैय सं०	विभाग	पैय सं०	विभाग	पैय सं०	विभाग	माध्यमिक शिक्षा	शैक्षिक शिक्षा	प्राथमिक शिक्षा	उच्च शिक्षा		
1	मेरठ	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22
1	मेरठ	19000	19000	29000	29000	268000	268000	13000	13000	6020	6020	13000	13000	10080	10080	8000	8000	13000	13000	8000	8000	25000	25000
2	बाराणसी	18000	18000	0	0	124000	124000	12000	12000	2800	2800	11000	11000	9100	9100	4000	4000	6000	6000	6000	6000	20000	20000
3	गान्धियाबाद	16000	16000	0	0	61000	61000	10000	10000	1400	1400	11000	11000	7980	7980	2000	2000	3000	3000	5000	5000	18000	18000
4	हामुड	15000	15000	23000	23000	104000	104000	8000	8000	2380	2380	11000	11000	7000	7000	3000	3000	5000	5000	5000	5000	16000	16000
5	गौतमबुद्ध नगर	20000	20000	0	0	49000	49000	8000	8000	1120	1120	16000	16000	7000	7000	1000	1000	2000	2000	6000	6000	22000	22000
6	बुलन्दशहर	16000	16000	0	0	393000	393000	7000	7000	8820	8820	13000	13000	6300	6300	12000	12000	20000	20000	6000	6000	24000	24000
	मेरठ मण्डल	104000	104000	52000	52000	999000	999000	58000	58000	22540	22540	75000	75000	47460	47460	30000	30000	49000	49000	36000	36000	127000	127000
7	शहरनगर	15000	15000	27000	27000	389000	389000	10000	10000	8540	8540	10000	10000	8400	8400	12000	12000	19000	19000	8000	8000	23000	23000
8	मुजाफरनगर	22000	22000	0	0	298000	298000	16000	16000	6720	6720	14000	14000	12320	12320	9000	9000	15000	15000	8000	8000	27000	27000
9	शामली	22000	22000	26000	26000	118000	118000	11000	11000	2520	2520	17000	17000	8540	8540	3000	3000	5000	5000	7000	7000	25000	25000
	शहरनगर मण्डल	59000	59000	53000	53000	800000	800000	37000	37000	17780	17780	41000	41000	29260	29260	24000	24000	39000	39000	23000	23000	75000	75000
10	आगरा	23000	23000	23000	23000	390000	390000	9000	9000	7700	7700	17000	17000	7000	7000	12000	12000	19000	19000	8000	8000	32000	32000
11	मैनपुरी	19000	19000	25000	25000	281000	281000	10000	10000	6300	6300	14000	14000	7700	7700	8000	8000	14000	14000	8000	8000	25000	25000
12	मथुरा	23000	23000	31000	31000	337000	337000	15000	15000	7560	7560	15000	15000	11760	11760	10000	10000	17000	17000	8000	8000	29000	29000
13	फिरोजाबाद	16000	16000	28000	28000	247000	247000	12000	12000	5600	5600	10000	10000	8960	8960	8000	8000	12000	12000	6000	6000	20000	20000
	आगरा मण्डल	81000	81000	107000	107000	1255000	1255000	46000	46000	27160	27160	56000	56000	35420	35420	38000	38000	62000	62000	30000	30000	106000	106000

क्र० सं०	जनपद का नाम	शिक्षा विभाग										
		पुल शक्ति विभाग पौध सं०	रेशम विभाग पौध सं०	कृषि विभाग पौध सं०	ग्रहपालन विभाग पौध सं०	सहकारिता विभाग पौध सं०	उद्योग विभाग पौध सं०	उच्च विद्या विभाग पौध सं०	वैदिक शिक्षा पौध सं०	प्राथमिक शिक्षा पौध सं०	प्रचल शिक्षा पौध सं०	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	अलीगढ़	18000	0	395000	9000	8680	13000	6720	12000	20000	7000	26000
15	बाधरस	16000	0	175000	6000	4080	11000	4760	5000	8000	5000	20000
16	रुदा	17000	0	254000	7000	5600	14000	5460	8000	12000	6000	22000
17	कमलगंज(काशीरामनगर) अलीगढ़ मण्डल	16000	0	196000	11000	4340	12000	8400	6000	10000	5000	20000
		67000	0	1020000	33000	22680	50000	25340	31000	51000	23000	88000
18	मुथवाबाद	12000	25000	221000	9000	4800	7000	6880	7000	11000	4000	16000
19	समल	18000	0	251000	9000	5600	14000	6880	8000	12000	6000	24000
20	रामपुर	15000	21000	247000	6000	5600	11000	4480	8000	12000	5000	20000
21	अमरोहा	14000	19000	222000	7000	5180	10000	3640	7000	12000	4000	13000
22	बिजनौर	16000	27000	502000	10000	11200	10000	8120	15000	25000	7000	25000
	मुथवाबाद मण्डल	75000	92000	1443000	41000	32480	52000	29960	45000	72000	26000	98000
23	बरेली	15000	25000	430000	8000	9520	11000	6580	13000	21000	6000	24000
24	बदायूं	18000	24000	458000	9000	10220	13000	6720	14000	23000	7000	27000
25	बोलीमिन	22000	23000	690000	9000	8820	17000	6860	12000	20000	8000	31000
26	शाहजहांपुर	17000	21000	474000	7000	10500	12000	5460	14000	24000	7000	26000
	बरेली मण्डल	72000	93000	1752000	33000	39060	53000	25620	59000	88000	28000	108000
27	प्रयागराज	13000	0	598000	9000	13300	8000	6580	16000	30000	6000	24000
28	मोरादाबाद	13000	0	188000	9000	4200	9000	6860	6000	9000	5000	17000
29	फतेहपुर	21000	26000	440000	10000	9940	16000	8120	14000	22000	8000	31000
30	प्रतापगढ़	13000	0	383000	7000	8680	9000	3920	12000	20000	6000	21000
	प्रयागराज मण्डल	60000	26000	1620000	35000	36120	42000	25480	60000	81000	25000	93000

क्र० सं०	जनपद का नाम	जल शक्ति विभाग		ईश विभाग		कृषि विभाग		मृदापान विभाग		सहकारिता विभाग		उद्योग विभाग		उत्पादन विभाग		शिक्षा विभाग				
		पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०	पौज सं०
1		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
31	वाराणसी	8000	19000	153000	5000	3500	5000	2520	5000	5000	8000	3000	11000							
32	बन्दा	13000	23000	288000	7000	6020	8000	5600	8000	13000	5000	18000								
33	गाजीपुर	12000	23000	359000	7000	7980	10000	5320	11000	18000	5000	19000								
34	जौनपुर	10000	21000	440000	7000	9800	9000	3780	13000	22000	5000	19000								
	वाराणसी मण्डल	43000	86000	1220000	26000	27300	32000	17220	37000	61000	18000	67000								
35	सतखिदासनगर	8000	19000	106000	4000	2380	7000	2380	3000	5000	3000	10000								
36	मिर्जापुर	23000	27000	479000	12000	10640	17000	9520	14000	24000	9000	33000								
37	सोनभद्र	39000	28000	718000	18000	15960	26000	14000	22000	36000	14000	53000								
	मिर्जापुर मण्डल	70000	74000	1303000	34000	28980	50000	25900	39000	65000	26000	96000								
38	गोरखपुर	10000	21000	361000	5000	7980	9000	4060	11000	18000	5000	17000								
39	महाराजगंज	13000	22000	310000	7000	6860	10000	5040	9000	15000	5000	20000								
40	देवरिया	9000	19000	271000	4000	6020	7000	2800	8000	13000	4000	15000								
41	पटना(कृशीनगर)	11000	22000	314000	6000	7000	8000	4620	10000	16000	5000	18000								
	गोरखपुर मण्डल	43000	84000	1256000	22000	27860	34000	16520	38000	62000	19000	70000								
42	बस्ती	9000	22000	293000	6000	8720	6000	4340	9000	15000	4000	14000								
43	संतकरानगर	8000	0	185000	7000	4060	5000	4200	6000	9000	3000	12000								
44	सिद्धार्थनगर	11000	21000	322000	4000	7280	8000	4060	10000	16000	5000	18000								
	बस्ती मण्डल	28000	43000	800000	17000	18060	19000	12500	25000	40000	12000	44000								
45	अजमेरगढ़	10000	20000	469000	4000	10360	7000	3080	14000	23000	5000	20000								
46	मऊ	10000	18000	181000	3000	4060	7000	2520	5000	9000	4000	14000								
47	बलिया	12000	24000	321000	8000	7140	8000	6160	10000	16000	5000	18000								

क्र० सं०	जनपद का नाम	शिक्षा विभाग													
		जल सक्ति विभाग		रेशम विभाग		कृषि विभाग		पर्यटन विभाग		सहायता विभाग		सद्योत विभाग		उर्जा विभाग	
		पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	आजमगढ़ मण्डल	32000	62000	971000	15000	21560	22000	11760	29000	48000	14000	52000			
48	लखनऊ	16000	27000	233000	10000	5600	11000	7840	8000	12000	6000	22000			
49	रायबरेली	17000	0	419000	8000	9380	13000	6440	13000	21000	7000	26000			
50	हरदोई	20000	22000	653000	8000	14560	15000	6160	20000	33000	9000	34000			
51	उन्नाव	18000	19000	499000	6000	11200	13000	4480	15000	24000	8000	28000			
52	सीतापुर	14000	26000	631000	9000	14000	9000	7140	18000	31000	7000	26000			
53	लखीमपुर-खीरी	25000	33000	837000	17000	18620	16000	13020	25000	41000	11000	41000			
	लखनऊ मण्डल	110000	127000	3272000	58000	73360	77000	45080	100000	162000	48000	177000			
54	अयोध्या	13000	0	276000	7000	6160	10000	5040	8000	14000	5000	19000			
55	अलिंदकर नगर	11000	0	253000	4000	5600	8000	3360	8000	12000	4000	16000			
56	सुल्तानपुर	11000	19000	288000	4000	6440	8000	2800	9000	14000	5000	17000			
57	बायबकी	13000	26000	421000	8000	9380	8000	6580	13000	21000	6000	21000			
58	अमेठी	12000	0	251000	9000	5600	7000	6720	8000	12000	4000	16000			
	अयोध्या मण्डल	60000	45000	1489000	32000	33160	41000	24500	46000	73000	24000	89000			
59	गोण्डा	17000	24000	631000	8000	9520	12000	6160	13000	21000	7000	26000			
60	हलद्वारापुर	17000	21000	344000	7000	7560	13000	5320	10000	17000	7000	25000			
61	शिवपुरी	18000	27000	689000	11000	4200	12000	8540	6000	9000	6000	22000			
62	बनारस	17000	28000	524000	12000	11760	11000	8960	16000	25000	7000	27000			
	बेबीपालन गोण्डा मण्डल	69000	100000	1488000	38000	33040	48000	28980	45000	72000	27000	100000			
63	कानपुर नगर	17000	26000	293000	12000	6580	12000	8960	9000	15000	6000	23000			
64	कानपुर देहात	21000	26000	308000	10000	7420	15000	7700	10000	16000	8000	28000			

क्र० सं०	जनपद का नाम	शिला विभाग										
		जल शक्ति विभाग	रेशम विभाग	कृषि विभाग	पर्यटन विभाग	सहकारिता विभाग	उद्योग विभाग	उत्पा विभाग	माध्यमिक शिक्षा	शैक्षिक शिक्षा	प्रारंभिक शिक्षा	उच्च शिक्षा
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
65	फरखाबाद	115000	228000	16000	5040	13000	6300	7000	11000	6000	20000	
66	कनौज	16000	22000	215000	7000	4760	13000	6300	7000	11000	6000	21000
67	इटावा	18000	28000	243000	12000	5460	12000	9380	7000	12000	6000	23000
68	औरंगा	15000	27000	209000	10000	4820	12000	9100	6000	10000	5000	19000
	कानपुर मण्डल	102000	131000	1496000	57000	33880	77000	47740	46000	75000	37000	134000
69	शांसी	37000	33000	488000	19000	11060	26000	15120	15000	24000	13000	48000
70	ललितपुर	50000	50000	509000	19000	11200	37000	15120	15000	25000	16000	62000
71	जालौन	31000	35000	468000	19000	10360	21000	14700	14000	23000	11000	40000
	शांसी मण्डल	118000	38000	1463000	57000	32620	84000	44840	44000	72000	40000	150000
72	हमीपुर	35000	41000	341000	26000	8400	26000	20160	11000	19000	13000	46000
73	महाबा	42000	41000	301000	26000	6660	28000	20020	9000	15000	13000	48000
74	बांदा	35000	32000	446000	19000	9660	22000	13860	13000	21000	11000	42000
75	विक्रकट	36000	32000	339000	16000	7420	26000	12180	10000	16000	13000	44000
	विक्रकट मण्डल	148000	146000	1426000	87000	32840	102000	66220	43000	71000	50000	180000
	महायोग	1341000	1419000	25073000	726000	560000	955000	560000	763000	1243000	506000	1854000

क्र० सं०	जनपद का नाम	ग्राम विभाग	स्वास्थ्य विभाग	परिवहन विभाग	रेलवे विभाग	शिक्षा विभाग	उद्योग विभाग	गृह विभाग	योग
1	2	पौध सं० 23	पौध सं० 24	पौध सं० 25	पौध सं० 26	पौध सं० 27	पौध सं० 28	पौध सं० 29	पौध सं० 30
1	मेरठ	2800	19000	2700	29000	6000	164000	9240	2884540
2	बागपत	2600	17000	2400	20000	6000	76900	9100	1370100
3	गाजियाबाद	3200	15000	3000	18000	6000	38900	8400	927080
4	हापुड	3600	11000	3500	13000	6000	64000	8400	1194180
5	गौतमबुद्ध नगर	5000	13000	4700	14000	8000	31000	12600	913520
6	बुलन्दशहर	3100	11000	2900	12000	6000	242000	7980	4143600
	मेरठ मण्डल	20500	86000	19200	109000	38000	615000	55720	41433020
7	सहारनपुर	2200	15000	2000	18000	5000	240000	7140	4538380
8	दुर्गापुर	1700	23000	1600	28000	6000	184000	9240	2924280
9	शमली	5500	17000	5200	20000	9000	70000	12320	1377680
	सहारनपुर मण्डल	9400	55000	8800	66000	20000	494000	28700	6840340
10	आगरा	5600	15000	5300	16000	9000	240000	12460	5142160
11	गैण्डी	3800	15000	3500	18000	7000	174000	9800	3763300
12	मथुरा	3200	22000	3000	27000	7000	209000	10780	3883300
13	फिरोजाबाद	1200	17000	1100	20000	5000	153000	6720	4565980
	आगरा मण्डल	13800	69000	12900	81000	28000	776000	39760	17354740

क्र. सं.	जनपद का नाम	शम विभाग	स्वास्थ्य विभाग	परिवहन विभाग	रेलवे विभाग	समा. विभाग	उद्यान विभाग	गृह विभाग	योग
1	2	घोष सं. 23	घोष सं. 24	घोष सं. 25	घोष सं. 26	घोष सं. 27	घोष सं. 28	घोष सं. 29	घोष सं. 30
14	अलीगढ़	4300	13000	4100	15000	7000	243000	9800	4346900
15	झारख	3900	10000	3700	11000	6000	113000	8540	2385960
16	एटा	3400	11000	3200	13000	6000	157000	8540	2839000
17	काशीगंज(काशीसमनगर)	2300	15000	2200	19000	5000	121000	7560	2419200
	अलीगढ़ मण्डल	13900	49000	13200	58000	24000	634000	34440	11991060
18	मुरादाबाद	900	13000	900	15000	4000	136000	5180	2261340
19	सभल	4400	13000	4200	16000	7000	155000	10080	2447540
20	वाराणसी	3600	9000	3400	11000	6000	153000	7980	2565960
21	अमरोहा	2800	9000	2700	9000	5000	142000	7420	4121040
22	बिजनौर	2300	15000	12200	18000	5000	311000	7280	6242000
	मुरादाबाद मण्डल	14000	59000	13400	69000	27000	897000	37940	17637880
23	बरेली	3600	12000	3400	15000	6000	266000	7980	4272980
24	बदायूं	4400	13000	4200	15000	7000	282000	9800	5228140
25	पीलीभीत	5500	14000	5200	16000	9000	247000	12320	3852500
26	शाहजहाँपुर	3400	11000	3200	13000	6000	294000	8540	5312800
	बरेली मण्डल	16900	50000	16000	59000	28000	1089000	38640	18666420
27	प्रयागराज	1900	12000	1800	15000	4000	369000	7280	7315160
28	कौशांबी	1900	13000	1800	15000	4000	115000	6300	2357760
29	फर्रुखपुर	5200	16000	4900	19000	8000	277000	12600	4853960
30	प्रतापगढ़	3100	8000	2900	9000	5000	243000	7000	4385100
	प्रयागराज मण्डल	12100	49000	11400	58000	21000	1004000	33180	18911980

क्र० सं०	जनपद का नाम	ग्राम विभाग	स्वास्थ्य विभाग	प्रतिष्ठित विभाग	रेलवे विभाग	रक्षा विभाग	उद्योग विभाग	ग्रह विभाग	योग
		पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०	पौध सं०
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30
31	वाराणसी	1500	5000	1400	6000	3000	95000	5600	2131920
32	मन्दीली	1900	11000	1800	13000	4000	166000	7000	6229220
33	गाजीपुर	3000	10000	2800	12000	4000	221000	7000	4264300
34	जौनपुर	2400	7000	2300	9000	4000	271000	6300	5197980
	वाराणसी मण्डल	8800	33000	8300	40000	15000	753000	25900	17823420
35	सतरविदासनगर	1900	5000	1800	5000	3000	66000	6300	1470060
36	मिर्जापुर	4700	19000	4400	22000	8000	296000	12601.4	8834461
37	सोनभद्र	5600	29000	5300	33000	13000	444000	18618.6	12393779
	मिर्जापुर मण्डल	12200	53000	11500	60000	24000	306000	37520	22698300
38	गोरखपुर	2000	8000	1900	9000	4000	222000	5180	4710420
39	महाराजगंज	3400	10000	3200	12000	5000	192000	7420	2832020
40	वैशिया	2300	6000	2200	7000	4000	166000	5040	3148860
41	पडरौना(कुशीनगर)	2300	9000	2200	10000	4000	194000	5740	3622360
	गोरखपुर मण्डल	10000	33000	9500	39000	17000	774000	23380	14313660
42	बस्ती	1200	8000	1100	10000	3000	185000	4060	3783120
43	सतलुकीरनगर	1200	9000	1100	9000	4000	115000	8780	2915240
44	सिद्धार्थनगर	2700	8000	2500	9000	5000	189000	6020	4124360
	बस्ती मण्डल	5100	25000	4700	28000	12000	499000	13860	10822720
45	आजमगढ़	2600	8000	2400	7000	4000	290000	5600	5964240
46	मऊ	2000	8000	1900	6000	4000	113000	5180	3050860
47	बलिया	1700	11000	1600	14000	4000	197000	5600	4391300

क्र० सं०	जनपद का नाम	श्रम विभाग पौख सं०	स्वास्थ्य विभाग पौख सं०	परिवहन विभाग पौख सं०	रेलवे विभाग पौख सं०	सहाय विभाग पौख सं०	उद्योग विभाग पौख सं०	गृह विभाग पौख सं०	योग पौख सं०
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30
	आजमगढ़ मण्डल	6300	27000	5900	27000	12000	600000	16380	13406400
48	लखनऊ	3200	15000	3000	18000	6000	153000	8400	3656740
49	रायबरेली	4200	13000	3900	15000	7000	260000	9380	5858600
50	हरदोई	5000	13000	4700	14000	8000	404000	11060	7720780
51	उन्नाव	3600	12000	3400	11000	6000	309000	9240	6542220
52	सीतापुर	2000	13000	1900	16000	4000	390000	6440	7193580
53	लखीमपुर-खीरी	3600	24000	3400	29000	8000	519000	11760	9000600
	लखनऊ मण्डल	21600	90000	20300	103000	39000	2035000	56280	39972520
54	अयोध्या	3200	10000	3000	12000	6000	169000	7280	4441780
55	अम्बेडकर नगर	2700	7000	2500	8000	5000	156000	8020	3465880
56	सुल्तानपुर	2200	8000	2000	7000	4000	178000	7000	4056740
57	बांशवाकी	1700	14000	1600	15000	4000	261000	7000	5706660
58	अमठी	900	14000	900	15000	5000	155000	5040	4301260
	अयोध्या मण्डल	10700	53000	10000	57000	24000	919000	32340	21972320
59	गोण्डा	4000	12000	3800	14000	7000	267000	9100	5189980
60	बलरामपुर	4300	11000	4100	12000	8000	212000	9520	3409900
61	श्रावस्ती	3500	16000	3300	19000	6000	117000	9100	4768240
62	बहराइच	2600	17000	2400	20000	6000	323000	8120	6118840
	दक्षिणप्रदेश गोण्डा मण्डल	14400	56000	13600	65000	27000	919000	35840	19486960
63	कानपुर नगर	2600	17000	2400	20000	8000	182000	8260	4287700
64	कानपुर देहात	6300	15000	6000	18000	8000	201000	11340	6242760

क्र. सं.	जनपद का नाम	श्रम विभाग	स्वास्थ्य विभाग	सुरिवाहन विभाग	रेलवे विभाग	रक्षा विभाग	सुधान विभाग	ग्रह विभाग	श्री
		पौध सं.	पौध सं.	पौध सं.	पौध सं.	पौध सं.	पौध सं.	पौध सं.	पौध सं.
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30
65	करखुवादा	5400	12000	5100	11000	7000	141000	8400	5068940
66	कान्नाज	8200	12000	3000	12000	7000	133000	8260	3827620
67	इटावा	3400	17000	3200	21000	6000	149000	8540	7027780
68	अरिया	3400	15000	3200	18000	5000	129000	7140	4726060
69	कासपुर मण्डल	24300	88000	22800	100000	39000	935000	51940	31280860
70	बलितपुर	7400	29000	7000	35000	13000	304000	19180	8842260
71	जालौन	12200	32000	11500	36000	19000	374000	27860	8176980
	कासी मण्डल	6000	27000	5700	33000	13000	288000	15680	8764440
72	हमीरपुर	25600	88000	24200	104000	45000	906000	62720	25783680
73	महाबा	6700	37000	6300	45000	13000	235000	18480	7301240
74	बारा	8300	37000	7900	45000	15000	3187000	21420	6613500
75	मिर्जापुर	6700	29000	6300	34000	41000	278000	16520	6490540
	मिर्जापुर मण्डल	7400	25000	7000	29000	16000	204000	19040	7198440
	मिर्जापुर मण्डल	29100	128000	27500	153000	65000	900000	75460	27603720
	महायोग	268700	1091600	253300	1206000	495000	15556000	700000	350000000

परिशिष्ट-2

प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का विवरण

1- तराई भावर जोन

- (क) ईंधन वाली प्रजातियाँ- बबूल, यूकेलिप्टस सुबबूल और काला सिरस
- (ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ-अर्जुन (टरमिनेलिया अर्जुन) अरू (आइलैन्थस इक्सेल्सा) असना (टरमिनेलिया इलाटा), बबूल, बहेड़ा, बैसी (सैलिक्स टेडिस्पर्मा, बकैन, धौरा, कटहल (आर्टोकार्पस हीटेरोफिलस), लसोड़ा (कार्डिया डाइकोटेमा) पूला (कीडिया कैलीसिना), कुईराल (वाहीनिया परिया). साँदन, सुबबूल और शहतूत
- (ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ- शीशम, जामुन, पौपलर, सागौन, गम्हार (मेलायना आरबोटिया)
- (घ) फलदार प्रजातियाँ- आम, आँवला, बहेड़ा, बेज, बेर, जामुन, कटहल, लसोड़ा आदि।
- (ङ) शोभाकार प्रजातियाँ- केशिया सियामिया, सेमल, जरूल (लेगसीमिया फलासरेजाइना), अमलतास, कचनार, गुलमोहर, एल्सटोनिया (छितवन) कदम्ब ।
- (च) पर्यावरण प्रजातियाँ- पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर

2- तराई जोन

- (क) ईंधन वाली प्रजातियाँ-बबूल, ढाक, सुबबूल, सिद्धा (लैगर्सिट्रिमिया पार्वीफलोरा) प्रोसोपिस (विलायती बबूल) जामुन, काला सिरस
- (ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ- अरू, बबूल, बकैन, बेर, कचनार, पूला, सुबबूल संजना, नीम, बैसी, सेलिक्स
- (ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ- असना/ सेन, बबूल, बांस, सागौन, शीशम, नीम, जामुन आदि
- (घ) फलदार प्रजातियाँ- आँवला, बेल, इमली, कटहल, लसोड़ा, महुआ, संजना आदि शोभाकार प्रजातियाँ अमलतास, कैसिया, सेमल, मदार/कोरल ट्री (एरीथाइना इण्डिका). कचनार, गुलमोहर, जकरेन्डा, कदम्ब (एन्थेसिफलस कदम्बा) सीता अशोक, पालीएल्थिया लॉजीफोलिया, नीम, चमेली, आकाश नीम, पेल्टोफोरम, मौलश्री (माइमूसाप्स एलेगी)

3- गांगेय क्षेत्र (पश्चिमी)

- (क) ईंधन वाली प्रजातियाँ- बबूल, ढाक, इमली, फराश, कंजी, सुबबूल, प्रोसोपिस (विलायती बबूल), काला सिरस
- (ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ- अरू, बबूल, बेर, कचनार, लसोड़ा, नीम, काला सिरस, सुबबूल
- (ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ- शीशम, जामुन, सागौन, बबूल, कंजू, नीम, आम
- (घ) फलदार प्रजातियाँ- आम, इमली, बेल, आँवला, महुआ, कचना, सँजना, कैथा, खिन्नी, लसोड़ा आदि
- (ङ) शोभाकार प्रजातियाँ- कनकचम्पा, अमलतास, कैशिया, सियामिया, अशोक, गुलमोहर, कचनार, नीम, चमेली, सेमल, मदार, जकरेन्डा, कदम्ब ।

4- गांगेय क्षेत्र (पूर्वी)

- (क) ईंधन वाली प्रजातियाँ- अर्जुन, बबूल, इमली, कंजी, सुबबूल, बिलायती बबूल, ढाक आदि

- (ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ - अरू, बेल, बेर, धौरा, कचनार, काला सिरस, सफेद सिरस, नीम लसोड़ा, सुबबूल आदि।
- (ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ- शीशम, सागौन, जामुन, आम, महुआ, काला सिरस, कंजू कठ सागौन
- (घ) फलदार प्रजातियाँ- आम, आँवला, महुआ, बेल, बेर, कटहल, इमली, कचनार, महुआ, सहजन और जामुन आदि
- (ङ) शोभाकार प्रजातियाँ- वह सभी प्रजातियाँ जो गांगेय क्षेत्र पश्चिमी में दी गई हैं।

5- विन्ध्य जोन

- (क) ईधन वाली प्रजातियाँ- बबूल, करघई, कन्जी, विलायती बबूल, सुबबूल, अंजन, बेर और कंकोर
 - (ख) चारा पत्ती वाली प्रजातियाँ- बबूल, बेल, कचनार, काला सिरस, सहजन, अंजन
 - (ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ- शीशम, काला सिरस, सागौन, महुआ
 - (घ) फलदार प्रजातियाँ- बेल, चिरौंजी, खिन्नी, महुआ, आँवला, शरीफा
 - (ङ) शोभाकार प्रजातियाँ- अमलतास, नीम, चमेली
- 6- निम्न प्रजातियाँ जलमग्न क्षेत्र के लिए उपयोगी है (पानी कुछ महीने ही जमा रहता हो) अर्जुन, जामुन, बैसी, गुटेल, सफेद सिरस, ढाक ।
 - 7- नदियों के किनारे पानी वाली भूमि जहाँ वर्षा में बाढ़ आ जाती है- सफेद सिरस, पेपर मलबरी, शीशम, खैर, झाऊ, वाइटेक्स निगन्डू ।
 - 8- मेरठ, बुलन्दशहर व अन्य जिलों के खादर क्षेत्र (वह क्षेत्र जहाँ गंगा की बाढ़ में लम्बे समय के लिये पानी जमा हो जाता है, केवल वही स्थान जो ऊँचाई पर हैं वृक्षारोपण के लायक हैं) कठ सागौन, ढाक, काला सिरस, सफेद सिरस, जामुन आदि
 - 9- बीहड़ भूमि (रेवीन्स) - विलायती बबूल (नीचे घाटियों में) नीम, जंगल जलेबी, करील, पार्किन्सोनिया, खजेड़ा, लसोड़ा
 - 10- पथरीले क्षेत्र- नीम, अंजन, बेर, सलाई ।
 - 11- रेतीले क्षेत्र- बबूल, कठ सागौन, काला सिरस, नीम, शीशम, पार्किन्सोनिया, विलायती बबूल, फराश, बेर।
 - 12- चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र- बबूल, आकाशमोनी, ढाक, असना, अर्जुन और जामुन।
 - 13- उसरीले क्षेत्र-
 - (क) पी०एच०-9 से नीचे
काला सिरस, नीम, महुआ, आकाशमोनी, विलायती बबूल, अर्जुन, ढाक, भारी ऊसर वाले क्षेत्र।
 - (ख) पी०एच०-9 से ऊपर
विलायती बबूल, अर्जुन, और ढाक ही हो सकते हैं वह भी तब जब पानी देने की व्यवस्था हो और मृदा को ठीक करने वाले पदार्थ जैसे जिप्सम या पाइराइट दिया गया हो।

प्रारूप-1
कृषकों द्वारा रोपित पौधों के सम्बंध में सूचना

क्र०सं०	कृषक का नाम	पिता का नाम	पता	मोबाइल नम्बर	स्थल का नाम	गाटा संख्या	रोपित पौधों की संख्या	रोपित प्रजाति	जीवित पौधों की संख्या	पौधों का श्रोत	हस्ताक्षर कृषक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रारूप-2
श्रेणी-3 (सामुदायिक/राजकीय परिसर/स्कूल/रेल/नहर/सड़क/पटरी की भूमि/अन्य भूमि) पर रोपित पौधों के सम्बंध में सूचना

क्र०सं०	सामुदायिक/राजकीय परिसर/स्कूल/रेल/नहर/सड़क/पटरी की भूमि/अन्य भूमि	पता	स्थल का नाम	गाटा संख्या	रोपित प्रजाति	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	पौधों का श्रोत	विभाग का नाम	प्रभारी का नाम	प्रभारी का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12